He Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71। No. 71)

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2012/PAUSA 27, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2012

का.आ. 80(अ).— केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम , 1988(1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सुड़क पुरिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूर्यना संख्या का.आ. 1035(अ), तारीख 7 गई, 2010 द्वारा आध्रप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 202 के 18.600 कि.मी. से 54.000 कि.मी. तक (हैदराबाद - यदगिरी सेक्शन) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है ;

और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988(1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में प्राधिकरण ने मैसर्स हैदराबाद यदिंगरी टोलये प्राइवंट लिमिटेड, जो 24.11.2009 को प्रस्तुत की गई बोलियों का सफ़त बोलीदाता है, और जिसका रिजर्म्नीकृत कार्यालय "सद्भाव हाउस्य ला गार्डन पुलिस चौकी के सामने, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात, भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतप्राही" कहा गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 202 के 18.600 कि.मी. से 54.000 कि.मी. तक ((जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खण्ड कहा गया है) हैदराबाद - यदिगरी सेक्शन का चार लेन के विभाजित कैरिएजवे के रूप में विकास तथा प्रचालन और अनुस्क्षण के लिए करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त करार कहा गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके प्रयास् "गियम" कहा गयी है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रव्यागम, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतप्राही के बीच हुए करार में गिहित अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित

करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु निवल सड़क खण्ड की लम्बाई के लिए सारणी ने के स्तंम (2) में निर्दिष्ट दर पर शुल्क (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है) उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा और पुलों/संरचना/बाइपास, जिनकी लागत पंचास करोड़ या अधिक है, का उपयोग करने वाले नीचे सारणी 1 और 2 में निर्दिष्ट प्रकार के यानों पर सारणी सं, 2 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा, और वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, करार में विनिर्दिष्ट अवसान की तारीख तक शुल्क का संग्रहण करने तथा उसे प्रतिधारित के लिए उक्त रियायतग्राही को प्राधिकृत करती है;

सारणी 1

्यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी, आधार दर (रूपये में)
(1)	. (2)
कार, जीप, वैन या हुल्का मोदर यान	0.65
हल्क वाणिज्यक यान, हल्क माल यान अथवा मिनी बस	1,05
बस या द्रक (वो धुरी वाले)	2.20
भारी निर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण(इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल यान (एमएयी)(तीन से छह धुरी वाले)	3.45
बहुत बड़े आकार वाले यान (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी 2

स्थायी पुल, अथवा सुरंग की लागत(करोड़ रू. में)	कार, जीप, यैन या हल्का मोटर यान	यान, हल्का माल	द्र्या या बस	एचसीएम, इएमइ या एमएवी	बहुत बड़े आकार वाला वाहन
10 से 15	5	7.50	15	22	
पन्द्रह करोड़ रूपये से अधिक और	4			44	30
एक सौ करोड़ रूपये तक प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपये अथवा उसके भाग के लिए	•	1.50	3	4.50	6
एक सौ करोड़ रूपये से अधिक और वो सौ करोड़ रूपये तक त्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपये अथवा उसके भाग के लिए	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50

टिप्पण ।-

1. फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर ऐसे टोल प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए शोध्य और संवैध किया जायेगा

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लंबाई (कि.मी. म) जिसके लिए फीस संदेय है
38.100 कि.मी., गुदूर गांव के पास , नलगोंडा जिले में	22.90
एन एच . 202	

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुलों/बाइपास /संरवना के उपयोग के लिए, जिसकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, शुल्क भी निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय करना होगाः

Water and the second se	
टोल प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) और बाइपास / संरचना की
a company of the second	लागत (करोड़ रूपये में) जिसके लिए अतिरिक्त
	शुक्क संदेय है
in a	लम्बाई लागत
38.100 कि:मी., गुदूर गांव के पास , नलगोंडा	4.05 कि,मी 68.75 करोड़ रूपए
जिले में , एन एच 202.	8.70 कि.मी 90.15 करोड़ रूपए
	THE PARTY OF THE P

- 3. वर्ष 2011-12 के लिए, स्थानीय निजी यातायात के संबंध में मासिक पास की दर 190.00 रूपये (एक सौ नब्बे रूपये मात्र) है जो, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के अध्यधीन है।
- 4. राजमार्ग रोक्शन पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नितिखित दरों पर प्रदान किये जाएंगे , अर्थात् :-

संदेय रकम	अनुझात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का	वो	संदाय के तमय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पचास या उससे अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

- 5. जो यांत्रिक यान नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुझेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लंदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुक्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के यानों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक यान से अधिक भार को हटा न दिया जाए!
- 6. यांत्रिक यानों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूटप्राप्त यानों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
- 7. उक्त नियम के नियम 12 के अनुसार, उपयोक्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।
- 8. फीस का पुनरीक्षण उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक रूप से किया जाएगा परंतु वह पूर्ववर्ती पुनरीक्षण की तारीख से छ: मास की अयिष के भीतर नहीं किया जायेगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/632/11-12/सीओ/जीसी हैदराबाद (18.60-54.00) बीओटी]

बी. बी. मोहपात्रा, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2012

S.O.80(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1035 (E), dated the 7th May, 2010, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 18.600 to kilometer 54.000 (Hyderabad-Yadgiri section) of National Highway No. 202 in the State of Andhra Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Hyderabad - Yadgiri Tollway Private Simited, having its registered office at "Sadbhav House", Opp. Law Garden Police Chowki, Ellisbridge, Ahemdabad-380006, Gujarat, India, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 24.11.2009 for the development of Hyderabad - Yadgiri section from Km 18.600 to Km 54.000 on National Highway No. 202 (hereinafter referred to as the "said section") to four lane divided carriageway and operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956' (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") base rates specified in the Table No.2 for and at the bridge/structure/ bypass costing Rupees Fifty crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Three to Six Axles)	3,45
Oversized Vehicles (Seven or more Axles)	4.20

Table 2

Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in crore)	Car, Jeep, Van or Light Motor	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	HCM, EME or MAV	Oversiz ed Vehicle
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1	1.50	3	4.50	6
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred crore and up to Rupees two hundred crore.	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50

Notes: -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 38.100, near Gudur village Nalgonda District of	22.90
NH-202	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/bypass(es)/structure(s), cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza:

140 GI/12-2

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) and Cost of bypass/ structure (in Rupees crore) for which additional fee is payable		
	Length	Cost	
Km 38.100,near Gudur village Nalgonda	4.05 Km	Rs.68.75 crore	
District of NH-202	8.70 Km	Rs.90.15 crore-	

- 3. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs.190.00 (rupees One Hundred Ninety only) for the year 2011-12 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
- 4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximu. number of one way journeys allowed.	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more		One month from date of payment

- 5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.
- 7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.
- 8. The fee rates shall be revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules provide that no revision shall be effected within six months.

[F. No. NHAI/13013/632/11-12/CO/GC Hyderabad (18.60-54.00) BOT]
B. B. MOHAPATRA, Director